(ख) यदि हरिजन अधीक्षकों की प्रतिशतता कम है, तो सरकार का इस सम्बन्ध में कब सुधार करने का विचार है; और

(ग) यदि हरिजन अधीक्षकों की प्रतिशतता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा]: (क) से (ग). यह सूचना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

OLD AGE PENSION SCHEME IN HIMACHAL PRADESH

5037. SHRI P. C. ADICHAN: Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether the old age pension scheme was in force in part of Himachal Pradesh which had been transferred from the Punjab under reorganisation scheme;

(b) if so, whether after transfer of these areas to Himachal Pradesh, Government have not allowed the old age pension in any fresh cases of persons belonging to these areas; and

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the reasons for rescinding the scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE [DR. (SHRIMATI) PHULRENU GUHA]: (a) Yes, Sir.

(b) Persons who were getting old Age Pension under the old Punjab Scheme, continue to get it.

(c) The question does not arise because only the pensions awarded under the Punjab Scheme continue to be paid. There is no other Old Age pension Scheme in operation in Himchal Pradesh.

PRODUCTION OF STEEL

5038. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state:

(a) the present production of steel in each Plant in the public sector and in the private sector;

(b) what production capacity the existing plants will have by the end of Fourth Plan Plant-wise and how the increase in production is being ensured; and

(c) how long will it take to start producing the steel that is being imported in the country and what steps have been taken in this direction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL and HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT): (a) The production of saleable steel during the period April-October, 1969 was as under:—

	(in '000 tonnes) April—October, 1969
Public Sector	
Bhilai Steel Plant . .	821·3
Durgapur Steel Plant .	263·9
Rourkela Steel Plant .	460·3
Private Sector	
Tata Iron & Steel Co. . .	831·3
Indian Iron & Steel Co. .	328·3

(b) The installed capacity unit-wise as anticipated by the end of the Fourth Five-Year Plan in terms of steel ingots will be as follows:

	(in million tonnes)
Tata Iron & Steel Co.	2·0
Indian Iron & Steel Co.	1·3 (the existing capacity of 1 million tonne is proposed to be increased by 0·3 million tonnes with the help of a World Bank Loan)
Bhilai Steel Plant	2·5
Durgapur Steel Plant.	1·6
Rourkela Steel Plant	1·8

(in million tonnes)

Bokaro Steel Ltd.	1·7	(First stage of Bokaro at present under construction)

(c) Most of the types of steel presently being imported are produced in the country. They are, nevertheless, imported because the demand is in excess of the domestic supply available. Steps are being taken to the extent of resources available, financial and otherwise, to increase production to catch up with the demand.

INCOME-TAX PAID BY FILM COMPANIES

5039. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state the names of the Directors alongwith the name of their shareholders of:

(i) Bombay Film Laboratories Pvt. Ltd., Bombay, (ii) Associated Film Industries Pvt. Ltd., Bombay, (iii) Motimahal Theaters Pvt. Ltd., Delhi, (iv) Chitralok (P) Ltd., Bombay, (v) Filmalaya (P) Ltd., Bombay, (vi) Filmistan Pvt. Ltd., Bombay, and (vii) Johar Films (P) Ltd., Bombay ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

झांसी-मानिकपुर तथा सीतापुर के बीच रेलवे लाइन

5040. श्री जगेश्वर यादव : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि झांसी-मानिकपुर रेलवे लाइन को सीतापुर से, जो भारत के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान चित्रकूट से सबसे निकट है, नहीं जोड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप लाखों यात्रियों को वहां पर बस द्वारा जाना पड़ता है, क्योंकि चित्रकूट या सीतापुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 5 मील है;

(ख) क्या सरकार इस लाइन को भरतपुर से बराास्ता पीलीकोठी या सीतापुर तक ले जाने के लिए सर्वेक्षण करेगी, ताकि इसे पुनः कारवी स्टेशन से मिलाया जा सके; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस लाइन के इस मोड़ से इस लाइन की लम्बाई केवल एक या दो फर्लांग बढ़ सकती है और भरतपुर तथा कारवी स्टेशनों की बीच वर्तमान लाइन द्वारा चित्रकूट को मिलाना भी संभव हो सकता है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) से (ग). यद्यपि सीतापुर किसी रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी सीतापुर को मिलाने के लिए वर्तमान रेल-पथ का मार्ग परिवर्तन करने अथवा चित्रकूट (वर्तमान स्टेशन) से सीतापुर तक एक शाखा लाइन बनाने पर काफी खर्च आएगा और इसलिए अभी इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं समझा जाता।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तीसरे दर्जे के स्थान के लिए आरक्षण

5041. श्री जगेश्वर यादव: क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तीसरे दर्जे के डिब्बों में आरक्षण कराने के लिए यात्रियों को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तीन बार पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है क्योंकि आरक्षण खिड़की तथा टिकट खिड़की अलग-अलग स्थानों पर है और इससे यात्रियों को इस प्रयोजन के लिए 5-6 घण्टे बर्बाद करने पड़ते हैं; और

(ख) क्या यात्रियों की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार स्थानों के आरक्षण तथा टिकट जारी के लिए केवल एक खिड़की रखने की व्यवस्था करने का है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख): यह सही है कि इस समय यात्रियों को अपना नाम लिखवाने, टिकट खरीदने और आरक्षण टिकट लेने के लिए अलग-अलग पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता है। लेकिन काउन्टर पास-पास हैं और आरक्षण कराने में सामान्यतः केवल चन्द मिनट लगते हैं। भीड़-भाड़ के समय अधिक समय लगता है, लेकिन वह